

उत्तराखण्ड शासन
रोजगार सृजन, कौशल विकास,
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्या:- /VIII/17-84(श्रम)/2005
देहरादून, दिनांक: ०६ अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 27 वर्ष 1996) की धारा 18 की उपधारा (3) सपठित उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 251 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या : 1042/VIII/17-84(श्रम)/2005, दिनांक 01.09.2017 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अध्यक्ष श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. सचिव प्रमुख सचिव/सचिव, रोजगार सृजन, कौशल विकास, श्रम एवं सेवायोजन विभाग।
3. सदस्य (केन्द्र सरकार द्वारा नामित)
4. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले
03 सदस्य
 1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी।
 2. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय या उनके द्वारा नामित अधिकारी।
 3. मुख्य निरीक्षक, भवन और अन्य सन्निर्माण निरीक्षण, उत्तराखण्ड।
5. नियोजकों का प्रति-
निधित्व करने वाले तीन
सदस्य
 1. श्री विजय नागर पुत्र श्री भोले राम- 85/1, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून।
 2. श्री विपिन कोटनाला पुत्र स्व. श्री एस.पी. कोटनाला, अपर कालाबढ, नियर डिग्री कॉलेज कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
 3. श्री मान सिंह जगवाण पुत्र श्री रणवीर सिंह जगवाण, तिलवाड़ा, जिला रुद्रप्रयाग।

6 श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य

1. श्रीमती शशि केषुवाल पत्नी श्री कुलदीप केषुवाल, ग्राम नन्दपुर, पो. पदमपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
2. श्री शैलेश गुसाई पुत्र स्व. श्री रघुनाथ गुसाई, 8-मयूर विहार, जी.एम.एस. रोड, देहरादून।
3. श्री शेखरानन्द पाण्डे, पुत्र स्व. श्री गोविन्द वल्लभ पाण्डे, सहायक महाप्रबन्धक कार्यालय, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अल्मोड़ा।

2. अधिसूचना संख्या 1042/VIII/17-84(श्रम)/2005, दिनांक 01.09.2017 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी एवं उक्त अधिसूचना के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या:- 1042(A) (1)/VIII/17-84(श्रम)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. बोर्ड के समस्त पदाधिकारीगण।
2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मा. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।